

<b>फर्द अहकाम</b> <b>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर</b> <b>प्रार्थी :- श्री दिनेशचन्द्र</b> <b>किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.</b>		
<b>विपक्षी :- श्री राजेश</b> <b>पत्रावली संख्या : 99/22</b>		
क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 07.06.2023</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा पत्थरगढी किये जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी है एवं प्रार्थीगण को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। विपक्षी सं. 1 से 4 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :-</b></p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 4619, 4639 किता 2 रकबा 1.0765 हेक्टेयर भूमि के उत्तरी दिशा के मध्य स्थित सरहद्द की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूलक पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(श्रीकान्त व्यास) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

